

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-56/2017/WP-265 /चि0-3-17-87रिट/2017
लखनऊ : दिनांक : 07 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-40519/2017, डा0 शशिबाला वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04-09-2017 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-34/2017/2483/चि0-3-17-टी0-1(54)/2017, दिनांक 16-08-2017 (क्रमांक-60) द्वारा डा0 शशिबाला वर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-12135, लेवल-2), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ का जनहित में मुख्य चिकित्साधिकारी, शामली के अधीन किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त 01 वर्ष के लिये स्थगित किया गया जाता है।

2- डा0 शशिबाला वर्मा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि समाप्त होने के उपरान्त वह स्वतः अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, शामली के लिये कार्यमुक्त समझी जायेंगी। तदनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-08-2017 उक्त सीमा तक संशोधित पढा जाय।

3- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-08-2017 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-56/2017/WP-265 (1)/चि0-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ/सहारनपुर मण्डल, सहानपुर।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ/शामली।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 शशिबाला वर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-12135, लेवल-2), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ की उक्त अवधि समाप्त होने पर तत्काल अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, शामली के लिये कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ/शामली।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ/शामली।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
7968
(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-57/2017/3281 /चि0-3-17-टी-1(56)/2017टी0सी0-1,
लखनऊ : दिनांक 07 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 अजय कुमार शाहनी, चिकित्साधिकारी (वरि0क्र0-7970, लेवल-2), एस0एच0आई0 अलीगंज, लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2482/चि0-3-17-टी-1(56)/2017, दिनांक 16-08-2017 (क्रमांक-60) द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के अधीन किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


2- कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2482/चि0-3-17-टी-1(56)/2017, दिनांक 16-08-2017 उक्त सीमा तक संशोधित पढा जाय। शेष यथावत बने रहेंगे।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-57/2017/3281 (1)/चि-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. निदेशक/प्रधानाचार्य, एस0एच0आई0 अलीगंज, लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई/लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/हरदोई।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-निदेशक/प्रधानाचार्य, एस0एच0आई0 अलीगंज, लखनऊ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एन0 यादव)
अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।